समाहरणालय, कटिहार

(जिला जनगणना प्रकोष्ठ)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5/3454 (जन०सर्वे आ०–40/2017–18–60(5)/रा०, दिनांक 13.02.2018 के द्वारा मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना 101–जनगणना आकडों का कम्प्यूटरीकरण 0002–जनगणना स्थापना 2011, माँग संख्या–40 विपत्र कोड 40–3454011010002 अन्तर्गत भारत की जनगणना, 2011 के क्रियान्वयन के निमित्त (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR) डाटाबेस के अद्यतीकरण कार्यो से संबंधित द्वितीय चरण कार्य यथा डाटाबेस में किये गये आवश्यक संशोधनों एवं नये परिवा के लिए भरे गये अनुसूचियों के डाटा इंट्री, पर्यवेक्षण तथा डाटा अपलोडिंग हेतु 1301 कार्यालय व्यय, 2003 प्रशिक्षण व्यय ए 2802 संविदा सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कटिहार जिला को निम्नवत राशि का आंवटन प्राप्त हुआ है :–

क्र०	कोड संख्या	इकाई का नाम	प्राप्त आवंटन
1	2	3	4
1	1301	कार्यालय व्यय	0.00
2	2003	प्रशिक्षण व्यय	0.00
3	2802	संविदा सेवाएँ	1,27,02,347.00
		कुल योग :–	1,27,02,347.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 70(4)/रा० दिनांक 05.02.2018 के आलोक में भारत की जनगणना 2011 के कार्यान्वयन के निमित्त कुल राशि **मो० 1,27,02,347.00 (एक करोड़ सताईस लाख दो हजार तीन स सैंतालीस) रूपये मात्र में से जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार, को उनके नाम के सामने अंकित राशि का उपावंटन कर हुए अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है, चूंकि इस जिला में सेवा प्रदाता द्वारा द्वितीय चरण कार्य यथा डाटाबेस में कि गये आवश्यक संशोधनों एवं नये परिवारों के लिए भरे गये अनुसूचियों के डाटा इंट्री तथा डाटा अपलोडिंग कार्य जारी है।**

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोड संख्या	इकाई का नाम	उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार	2802	संविदा सेवाएँ	1,27,02,347.00
			कुल योग :–	1,27,02,347.00

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि की निकासी/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में महारजिस्ट्रा जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 9/26/2015 सी०आर०डी० (NPR) दिनांक 12.02.2016 के आलोक में करेंगें, उपावंटित राशि के व्यय का लेखा अलग से संधारित करेगें, एवं व्यय की गई राशि का डी०सी० विपत्र सी महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को कोषागार प्रमाणक संख्या(टी०भी०नं०) एवं तिथि के साथ भेजते हुए उसकी विस्तृ विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ नियमित रूप से मासिक व्यय प्रतिवेदन, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभा बिहार, पटना एवं जिला जनगणना प्रकोष्ठ कटिहार में समर्पित करेंगे। व्यय नही होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2016 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन वित्त विभाग के **परिपत्र संख्या 2561/(वि०–2)** दिनांक **17.04 1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। उक्त उपावंटित राशि मूल बजट उपबंध एवं प्रथम अनुपूरक आगणन द्वार प्रावधानित राशि के अन्तर्गत है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपावंटित राशि का भुगतान सक्षम आदेश अलग से निर्गत की जायेगी।

15/3/18

समाहर्त्ता–सह–
जिला रजिस्ट्रार
कटिहार।

ज्ञापांक 11 /जि०जन० प्रकोष्ट II-I/2015-16 दिनांक 15/03/18

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं अधोहस्ताक्षरी के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/3/18

समाहर्त्ता–सह–
जिला रजिस्ट्रार
कटिहार।

I:\Gautam Data\T B Das\Janganna\Adesh 30.03.2016.doc